न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :–आर. के. जायसवाल, आई.ए.एस., कलक्ट्रर एवं जिला मजिस्ट्रेट

प्रकरण संख्या :– 17/2017 (आरसीएमएस नम्बर 2017/00030)

उनवानी प्रकरण :–

1. सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक, धौलपुर ———————— प्रार्थी।

बनाम्

1. कोकसिहं पुत्र श्री मंगलाराम जाति कोली उम्र 58 साल निवासी आमली पाडा बाडी थाना बाडी जिला धौलपुर ———————— अप्रार्थी।

इस्तगासा अंतर्गत धारा 3, राज0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति :–

1– प्रार्थी की ओर से :– सुश्री दिव्या कमठान अभियोजन अधिकारी।
2– अप्रार्थी की ओर से :– श्री मौहम्मद मजीद अभिभाषक।

आदेश दिनांक 03.02.2020

आदेश

जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की ओर से थानाधिकारी, थाना बाडी से प्राप्त इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3, राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 विरूद्व अप्रार्थी कोकसिहं पुत्र श्री मंगलाराम जाति कोली उम्र 58 साल निवासी आमली पाडा बाडी थाना बाडी इस आशय का प्रस्तुत किया, कि अप्रार्थी बदमाश किस्म का व्यक्ति है जो शराब पीना व रोज जुआ खेलता है, सट्टा लगाता है जिससे आमजन में कुरीतियॉ पैदा होती हैं व आमजन भयभीत है। आमजन का जीना दूभर कर रखा है। कोई भी आमजन इसके खिलाफ रिपोर्ट देने को तैयार नहीं है। अगर कोई भी शिकायत करता है तो उसको जान से मारने की धमकी देता है। अप्रार्थी के विरूद्व थाना बाडी पर प्रकरण संख्या 108 दिनांक 16.2.2016 अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ चार्जशीट नम्बर 40 दिनांक 29.02.2016 पेश न्यायालय की गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 100/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है तथा प्रकरण संख्या 392/25.7.2016 अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ चार्जशीट नम्बर 215 दिनांक 31.7.2016 पेश न्यायालय की गई। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 100/–रूपये के अर्थदण्ड दण्डित किया गया है। अप्रार्थी के विरूद्व दर्ज प्रकरणों व गतिविधियों से आम जनता में उत्पन्न भय, सन्त्रास व उनका जीवन खतरे में पडा हुआ है। अप्रार्थी की आपराधिक गतिविधियों के आधार पर अप्रार्थी गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख) (1) (5) (8) की तारीफ में आता है जिसे गुण्डा घोषित किया जाना नितान्त

(आर0 के0 जायसवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

आवश्यक है ताकि उसकी अवैधानिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके एवं इलाका में शान्ति एवं कानून व्यवस्था कायम की जा सके । अतः अप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत कार्यवाही की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस इस आशय का जारी किया गया, कि उसे इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो, तो वह इस न्यायालय में उपस्थित होकर कारण बताये।

अप्रार्थी की ओर से श्री मौहम्मद मजीद अभिभाषक ने अपना वकालतनामा पेश कर नोटिस का जबाब पेश किया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी को उक्त नोटिस की जानकारी पुलिस थाना बाडी द्वारा प्राप्त हुई । अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा जो इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 पूरी तरह गलत व असत्य है। क्योकि अप्रार्थी के विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक रिकोर्ड नहीं है। न ही अप्रार्थी के द्वारा कोई अपराध किया गया है। यह बात सही है कि अप्रार्थी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के मुकदमा पुलिस द्वारा राठोरी कार्यवाही करके जबरदस्ती से बनाये गये है। उक्त प्रकरणों का निस्तारण हो चुका है। अप्रार्थी पूरी तरह बृद्ध व गरीव है जो कि पेंशन के भरोसे अपना जीवन यापन करता है। अप्रार्थी को पुलिस मिथ्या व झूठी साक्ष्य के आधार पर बदनाम करना चाहती है जो अप्रार्थी के साथ सरासर अन्याय है। अतः अप्रार्थी का जबाव स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे ।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में गवाहान सूची, पुलिस ब्रीफ की प्रति, प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 16.2.2016 चार्जशीट नम्बर 40 दिनांक 16.2.2016 की फोटो प्रति, प्रथम सूचना रिपोर्ट कमांकः 392/2016 दिनांक 25.7.2016 की प्रतिलिपि चार्जशीट नम्बर 215 दिनांक 31.7.2016 की प्रतिलिपि, माननीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बाडी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.10.2016 एवं 31.3.2016 की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की।

अप्रार्थी ने अपने जबाव के समर्थ में कोई दस्तावेज या साक्ष्य आदि पेश नहीं किए।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में गवाह रमेश सिहं तंवर पुत्र श्री चित्रसाल सिहं जाति राजपूत हाल थाना बाडी के बयान दर्ज कराये गये जो पीडब्लू–1 है। गवाह ने अपनी गवाही में कथन किया कि वह दिनांक 26.12.2015 से थाना बाडी में थानाधिकारी के पद पर पदस्थापित हैं। अप्रार्थी आमलीपाडा कस्बा बाडी थाना बाडी का रहने वाला है। अप्रार्थी एक बदमाश प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो शराब पीना, सरेआम जुआ खेलना सट्टा लगाना आदि कार्य करता है जिससे आमजन इससे भयभीत है व समाज में कुरीतियों फैलती है। इसके विरूद्ध कोई रिपोर्ट देने को भी तैयार नहीं होता । जनता के हित में इसका स्वछन्द रहना उचित नहीं है। अप्रार्थी के विरूद्ध थाना बाडी पर 2 अभियोग 108/2016 व 392/2016 धारा 13 आरपीजीओ में पंजीबद्ध हुए हैं। जिसमें अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अप्रार्थी के विरूद्ध गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जाना नितान्त आवश्यक है।

गवाह श्यामसुन्दर पुत्र श्योप्रसाद जाति ब्राहमण उम्र 50 वर्ष निवासी फतेहाबाद जिला आगरा हाल ए एस आई थाना बाडी पीडब्लू–2 है ने कथन किया कि दिनांक 16.2.2016 को हैड कान्स्टेबिल के पद पर थाना बाडी में कार्यरत था। मु0 नम्बर

(आर0 के0 जायसवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

108/2016 दिनांक 16.2.2016 तफतीश हेतु श्री जगदीश सिहं ए एस आई ने दिया था । बाद अनुसंधान अप्रार्थी के खिलाफ बखूबी प्रमाणित पाया गया । चार्जशीट नम्बर 40 दिनांक 29.2.2016 की गई ।

गवाह गुंरूप्रसाद ने कथन किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट नम्बर 392/2016 धारा 13 आरपीजीओ के प्रकरण की तफतीश के दौरान अनुसंधान बयानात गवाहान जयपाल ए एस आई और कान्स्टेबिल बलवीर, शिवराम के कथनानुसार लेखबद्ध किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये । घटनास्थल फर्द जब्ती, नक्शा मौका फर्द गिरफतारी आदि के आधार पर अप्रार्थी क विरूद्ध धारा 13 आरपीजीओ के अपराध प्रमाणित पाये जाने पर चार्जशीट किता की गई न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध कर 100/–रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान सहायक लोक अभियोजक (प्रथम) ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में दिये गये तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया, कि अप्रार्थी की थाना क्षेत्र में आम शोहरत बेहद खराब है। यह एक बदमाश किस्म का व्यक्ति है, जो शुरू से ही शराब पीकर दीगर बदमाशान के साथ रहता है। अप्रार्थी का इलाके में इतना भय व्याप्त है कि अप्रार्थी के बारदात करने के बाद आमजन भय के कारण रिपोर्ट भी नहीं करते है तथा कुछ व्यक्ति साहस कर अप्रार्थी के विरूद्ध रिपोर्ट कर भी दें, तो अप्रार्थी के खिलाफ गवाही देने से डरते है। अप्रार्थी के विरूद्ध थाना बाडी पर प्रकरण संख्या 108 दिनांक 16.2.2016 अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ चार्जशीट नम्बर 40 दिनांक 29.02.2016 पेश न्यायालय की गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 100/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है तथा प्रकरण संख्या 392/25.7.2016 अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ चार्जशीट नम्बर 215 दिनांक 31.7.2016 पेश न्यायालय की गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 100/–रूपये के अर्थदण्ड दण्डित किया गया है। गवाह रमेश सिहं तंवर ने अपनी गवाही में कथन किया कि अप्रार्थी एक बदमाश प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो शराब पीना, सरेआम जुआ खेलना सट्टा लगाना आदि कार्य करता है जिससे आमजन इससे भयभीत है। व समाज में कुरीतियॉ फैलती है। इसके विरूद्ध कोई रिपोर्ट देने को भी तैयार नहीं होता जनता के हित में इसका स्वछन्द रहना उचित नहीं है। गवाह श्यामसुन्दर ने कथन किया कि मु. न. 108/2016 बाद अनुसंधान अप्रार्थी के खिलाफ बखूबी प्रमाणित पाया गया । गवाह गुंरूप्रसाद ने कथन किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट नम्बर 392/2016 धारा 13 आरपीजीओ के प्रकरण अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 13 आरपीजीओ के अपराध प्रमाणित पाये जाने पर चार्जशीट किता की गई न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध कर 100/–रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरणों व उसकी आपराधिक गतिविधियों के आधार पर अप्रार्थी राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख)(v)(viii) की तारीफ में आता है जिसे गुण्डा घोषित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत कार्यवाही की जावे।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया, कि अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा जो इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 पूरी तरह गलत व असत्य है। क्योकि अप्रार्थी के विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक रिकोर्ड नहीं है। न ही अप्रार्थी के द्वारा कोई अपराध किया गया है। अप्रार्थी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ का मुकदमा पुलिस द्वारा मनमानी कार्यवाही करके

(आर0 के0 जायसवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

जबरदस्ती से बनाया गया है। उक्त प्रकरणों का निस्तारण हो चुका है। अप्रार्थी पूरी तरह बृद्ध व गरीव है जो कि पेंशन के भरोसे अपना जीवन यापन करता है। अप्रार्थी को पुलिस मिथ्या व झूठी साक्ष्य के आधार पर बदनाम करना चाहती है जो अप्रार्थी के साथ सरासर अन्याय है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे । गवाह श्री रमेश सिहं तंवर ने जिरह वकील में कथन किया कि जॉच अधिकारी की रिपोर्ट अनुसार ही मंजूरी दी गई है तथा रिकोर्ड के आधार पर जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष परिवाद पेश किया है। गवाह ने दौराने जिरह यह भी कथन किया कि उनके द्वारा दोनों प्रकरणों में कोई अनुसंधान नहीं किया है। अप्रार्थी के विरूद्ध अन्य कोई प्रकरण दर्ज हो तो यह बात वह रिकोर्ड देखकर बता सकते है। गवाह श्री श्यामसुन्दर ने जिरह वकील में कथन किया कि दौराने तफतीश मु0 नम्बर 108/2016 के दौरान कोई लूट या मारपीट का कोई अन्य मुकदमा हो तो उसकी जानकारी में नहीं है। यह कहना गलत है कि उक्त प्रकरण की तफतीश झूठी की है । गवाह श्री गुरू प्रसाद ने जिरह वकील ने कथन किया कि तफतीश के दौरान किसी स्वतंत्र गवाह को गवाह नहीं बनाया । अप्रार्थी द्वारा कोई व्यक्ति भयभीत हो तो उसको पता नहीं। अप्रार्थी के विरूद्ध कोई मुकदमा मारपीट, लूटपाट डकैती का हो तो उसकी जानकारी में नहीं है। उपरोक्त पहलुओं को देखते हुये अप्रार्थी राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत गुण्डा की श्रेणी में नहीं आता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज किया जावे।

दोनों पक्षों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 यद्यपि लोक व्यवस्था को कायम रखने की दृष्टि से गुण्डों पर नियंत्रण करने और उनको दबाने के लिये विशेष उपबंध बनाने का अधिनियम है, तदापि नागरिकों की सामान्य स्वतंत्रताओं को भी अक्षुण रखना लोक व्यवस्था के लिये आवश्यक है। अधिनियम की धारा 2 में शब्द गुण्डा को निम्न रूप से परिभाषित किया गया है :–

"(आ) "गुण्डा" से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है, जो–

1. स्वयं या किसी गिरोह के सदस्य अथवा नेता या मुखिया के रूप में भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) के अध्याय 16, 17 या 22 अथवा भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 290 से 294 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध करने का अभ्यस्त है, या करने का प्रयास करता है, या करने के लिये प्रेरित करता है, अथवा
2. सप्रेशन ऑफ इम्मोरल ट्रेफिक इन वुमन एण्ड गर्ल्स अधिनियम 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 104) के अधीन दोषी ठहराया गया हो, अथवा
3. राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 (1950 का राजस्थान अधिनियम संख्या 11) के अंतर्गत कम से कम दो बार दोषी ठहराया गया हो, अथवा
4. अफीम अधिनियम, 1878 (1878 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 1) या एन0डी0पी0एस0 एक्ट 1985 के अंतर्गत कम से कम दो बार दोषी ठहराया गया हो, अथवा
5. राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश, 1949 (1949 का राजस्थान अध्यादेश संख्या 48) के अधीन कम से कम दो बार दोषी ठहराया गया हो, अथवा

(आर0 के0 जायसवाल)
एडीशनल कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

6. महिलाओं एवं लडकियों पर अभ्यासतः अशिष्ट टिप्पणी करता या उन्हें छेडता हुआ पाया गया हो, अथवा
7. हिंसात्मक कार्यों या बल प्रदर्शन द्वारा कानून का पालन करने बालों को कष्ट देने का अभ्यासी पाया गया हो, अथवा
8. जो सार्वजनिक स्थानों पर दंगा या शांति भंग करने या बलवा करने का अभ्यासी हो या जो बलपूर्वक चंदे का संग्रह अथवा अपने या दूसरों के अवैध आर्थिक लाभ हेतु लोगों को धमकी देने का अभ्यस्त हो या जो व्यक्तियों अथवा सम्पत्ति की चेतावनी, खतरा या नुकसान करने का अभ्यस्त हो।

स्पष्टीकरण :– किसी व्यक्ति के सम्बंध में खण्ड में जहाँ किसी ''अभ्यस्त'' या ''अभ्यासी'' शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो इससे ऐसे व्यक्ति का अभिप्राय है, जो धारा 3 के अंतर्गत किसी कार्यवाही के आरम्भ में तुरन्त पूर्व छः माह की अवधि के दौरान कम से कम तीन अवसरों पर खण्ड (1), (6), (7) या (8) में वर्णित यथास्थिति, अपराध या कार्य करने का दोषी पाया गया हो।''

प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थी के विरूद्ध दो प्रकरण मुकदमा नम्बर 108/2016 एवं मुकदमा नम्बर 392/2016 अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ थाना बाडी पर पंजीबद्ध हुये हैं। जिनमें चार्जशीट सम्बन्धित न्यायालय में पेश की गई। माननीय न्यायालय द्वारा दोनों प्रकरणों में अप्रार्थी को 100/– 100/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। जो अधिनियम की धारा 2(आ) की उपधारा 5 के अन्तर्गत आते हैं। अप्रार्थी अधिनियम 1975 के उद्देश्यों के लिए गुण्डा हैं, जिसके विरूद्ध धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना उचित होगा। क्योंकि धारा 2 (आ) की उपधारा 5 में यह उल्लेख है कि '' **राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश, 1949 (1949 का राजस्थान अध्यादेश संख्या 48) के अधीन कम से कम दो बार दोषी ठहराया गया हो,**

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अप्रार्थी राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के उद्देश्यों के लिए गुण्डा हैं और उसकी गतिविधियों से जिले के व्यक्तियों को नुकसान हो रहा है और होने की सम्भावना है। राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 जिस बुराई को रोकने के लिए यथा लोक व्यवस्था की स्थिति को कायम रखने के लिए गुण्डों पर नियंत्रण करने व उनको दबाने के लिए जो विशेष उपबन्ध करता हैं वह इस प्रकरण में पूरी तरह साबित हैं और अप्रार्थी को अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत जिला बदर किया जाना पूर्णतः न्यायोचित और विधिसम्मत है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी कोकसिहं पुत्र मंगलाराम जाति कोली निवासी आमलीपाडा कस्बा बाडी थाना बाडी जिला धौलपुर को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (3) के तहत सात दिवस के लिये जिला धौलपुर से निष्कासित कर जिला करौली में रहने के आदेश दिये जाते हैं।

1. उपरोक्त अवधि में अप्रार्थी जिला करौली में रहेगा, जहाँ वह शान्ति व्यवस्था कायम रखेगा व कोई आग्नेय–अस्त्र शस्त्र अपने पास नहीं रखेगा। यदि उसके पास लाईसैंन्सी हथियार है, तो उसे अपने नजदीकी थाने में जमा करायेगा।

(आर0 के0 जायसवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज0)

2. अप्रार्थी प्रथमतः जिला पुलिस अधीक्षक करौली के यहाँ उपस्थित देगा, जहाँ से जिला पुलिस अधीक्षक करौली के निर्देशानुसार बताये गये थाने में प्रत्येक सोमवार को अपनी उपस्थिति देगा।
3. जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर अप्रार्थी को जिला पुलिस अधीक्षक करौली के यहाँ उपस्थिति हेतु पाबन्द करेगें।
4. इस आदेश की पालना हेतु जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर, जिला पुलिस अधीक्षक करौली के नियंत्रण में अप्रार्थी कोकसिहं पुत्र मंगलाराम जाति कोली निवासी आमलीपाडा कस्बा बाडी थाना बाडी जिला धौलपुर को सुपुर्द कर पालना सुनिश्चित करायेंगे।
5. सात दिन पूरा होने पर अप्रार्थी कोकसिहं पुत्र मंगलाराम जाति कोली निवासी आमलीपाडा कस्बा बाडी थाना बाडी जब पुनः धौलपुर जिले की सीमा में प्रवेश करेगा, तो इसकी सूचना वह जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर को देगा।
6. आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर व जिला पुलिस अधीक्षक करौली को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 03.02.2020 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राकेश कुमार जायसवाल)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
कलक्टर एवं धौलपुर जिस्ट्रेट, धौलपुर